



हरिभूमि काम्पलेक्स, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर . 492001 (छ.ग.)
Haribhoomi Complex Dhamtari Road Tikrapara Raipur - 492001 (C.G.)
website : www.cgsos.in, email id : cgsosraipur@gmail.com

क्रमांक / 633 / वित्त / 13

रायपुर, दिनांक 02/02/13

आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्यों के मानदेय/पारिश्रमिक की राशि में निम्नानुसार वृद्धि आदेश प्रसारण दिनांक से लागू की जाती हैं।

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रचलित दर पारिश्रमिक/मानदेय की राशि	वर्तमान में संशोधित दर
1.	मूल्यांकन अधिकारी हाई./हा.से.	प्रतिदिन रू. 330=00 अधिकतम रू. 11,000=00	प्रतिदिन रू. 365=00 अधिकतम रू. 12,000=00
2	सहा. मूल्यांकन अधिकारी हाई./हा.से.	प्रतिदिन रू. 275=00 अधिकतम रू. 8,250=00	प्रतिदिन रू. 305=00 अधिकतम रू. 9,250=00
3	केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु मुख्य परीक्षक हाईस्कूल	प्रतिदिन रू. 255=00 अधिकतम रू. 7,650=00	प्रतिदिन रू. 280=00 अधिकतम रू. 8,650=00
4	मुख्य परीक्षक हायर सेकण्डरी	प्रतिदिन रू. 280=00 अधिकतम रू. 8,400=00	प्रतिदिन रू. 310=00 अधिकतम रू. 9,400=00
5	उप मुख्य परीक्षक हाईस्कूल	प्रतिदिन रू. 205=00 अधिकतम रू. 6,150=00	प्रतिदिन रू. 225=00 अधिकतम रू. 7,150=00
6	उप मुख्य परीक्षक हायर सेकण्डरी	प्रतिदिन रू. 225=00 अधिकतम रू. 6,750=00	प्रतिदिन रू. 245=00 अधिकतम रू. 7,750=00
7	सुपरवाइजर हाईस्कूल/हा.से.	प्रतिदिन रू. 225=00 अधिकतम रू. 6,750=00	प्रतिदिन रू. 245=00 अधिकतम रू. 7,750=00
8	परीक्षक मूल्यांकन हेतु हाईस्कूल हायर सेकण्डरी	रू. 05=50 रू. 06=50	रू. 07=00 रू. 08=00
9	जिला मुख्यालय से बाहर के परीक्षक जो गंतव्य स्थान से 25 किमी. से अधिक दूरी वाले परीक्षक का ठहरने का भत्ता	प्रतिदिन रू. 110=00	प्रतिदिन रू. 120=00
10	दैनिक भत्ता मुख्यालय के बाहर के परीक्षक/उपमुख्य परीक्षक/मुख्य परीक्षक	प्रतिदिन रू. 40=00	प्रतिदिन रू. 45=00
11	वाहन भत्ता मूल्यांकन केन्द्र में संलग्न अधिकतम 6 स्टाफ सहित परीक्षक/उपमुख्य परीक्षक/ मुख्य परीक्षक	प्रतिदिन रू. 30=00 वास्तविक मूल्यांकन दिवस	प्रतिदिन रू. 40=00
12	मूल्यांकन केन्द्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप संलग्न लिपिक को मानदेय मुख्य/उपमुख्य/सुपरवाइजर एवं परीक्षक संख्या 500 तक दो लिपिक (एक सामग्री प्रदाय एक उपस्थिति हेतु) एवं अतिरिक्त 500 पर एक लिपिक	प्रतिदिन रू. 165=00 अधिकतम रू. 5,000=00	प्रतिदिन रू. 185=00 अधिकतम रू. 5,000=00

स.क्र.	कार्य का नाम	पूर्व में प्रचलित दर पारिश्रमिक/मानदेय की राशि	वर्तमान में संशोधित दर
13	मूल्यांकन केन्द्र पर साफ सफाई हेतु नियुक्त सफाई कर्मचारी को पूरे मूल्यांकन दिवस	रु. 440=00	रु. 500=00
14	मूल्यांकन केन्द्र पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नियुक्त दैनिक मजदूर को नियमित भृत्य के लिए	कलेक्टर द्वारा निर्धा. दर पर प्रतिदिन रु. 110=00	कलेक्टर द्वारा निर्धा. दर पर प्रतिदिन रु. 110=00 वाहन भत्ता सहित
15	मूल्यांकन केन्द्र पर परीक्षकों के मानदेय देयक की जांच हेतु	01=00 प्रति बिल की दर से	02=00 प्रति बिल की दर से
16	बिजली खर्च		वास्तविक व्यय बिजली बिल प्रस्तुत करने पर
17	फोन आदि		वास्तविक व्यय किन्तु 500=00 से अधिक नहीं
18	डाक व्यय		वास्तविक व्यय
19	नैमेत्तिक व्यय गोंद, मोमबत्ती, सुतली, चपड़ा, सुई धागा, कपड़ा, गिलास, मग, मटके, फिनाईल आदि		100 उ.पु. पर तीन रु. (मूल्यांकन केन्द्र पर कुल आबंटित उ.पु. के हिसाब से)
20	उ.पु. मूल्यांकित यथास्थित रूप में रखने, मूल्यांकन हेतु प्रदाय करने, मूल्यांकन उपरांत प्राप्त करने, विषयवार केन्द्रवार रखने, उनकी सूची तैयार करने व बोरों में भरने एवं अन्य सिलाई सहायता हेतु उ.पु. प्राप्त होने के उपरांत तीन दिवस के लिए एक लिपिक एक भृत्य	एक लिपिक एवं एक भृत्य नियमित लिपिक 165=00 प्रतिदिन भृत्य 110=00 प्रतिदिन	एक लिपिक एवं एक भृत्य नियमित लिपिक 185=00 प्रतिदिन भृत्य 125=00 प्रतिदिन
21	पेयजल व्यवस्था	400=00	500=00
22	स्वल्पाहार	300=00	500=00
23	फर्नीचर दुलाई	400=00	500=00

प्रकाश व्यवस्था प्रायः यह देखने में आया है कि प्रकाश हेतु बल्ब किराये से लिये जाते हैं जिसका किराया क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है इसलिए बल्ब किराये से न लिया जाये आवश्यकता हो तो निरीक्षण अधिकारी/पर्यवेक्षक के अनुशंसा प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार क्रय करें एवं मूल्यांकन उपरांत निरीक्षण अधिकारी को सौंप कर रसीद प्राप्त करें।

अंक छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मुख्यालय तक पहुंचाने का दो बार का आने-जाने का द्वितीय श्रेणी रेल/बस किराया एवं पात्रता अनुसार भत्ता मान्य किया जावेगा।

नोट :- 1. इस वित्तीय योजना में विभिन्न मदों में किये गये प्रावधानों से अधिक व्यय न करे। यदि व्यय किया जाना (अपरिहार्य) हो तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/निरीक्षण अधिकारी से व्यय के औचित्य पर प्रमाणीकरण करवाकर मुख्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही व्यय करें अन्यथा वह व्यय मान्य नहीं होगा। किये गये अतिरिक्त व्यय के प्रत्येक देयक पर मुख्यालय की स्वीकृति का संदर्भ तथा निरीक्षण अधिकारी/पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य है। अभाव में भुगतान नहीं किया जावेगा।

Sunith

2. प्रश्न-पत्र तथा आदर्श उत्तर की फोटो कापी प्रति कराने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मुख्यालय से स्वीकृति लेना आवश्यक है। स्वीकृति की प्रति देयक के साथ संलग्न करें। मुख्यालय से स्वीकृति के अभाव में देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।

Sunth
उप सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल
रायपुर

पृ.क्र./ 634 / वित्त / 13

रायपुर, 02/09/13

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय / सचिव महोदय के निज सहायक, छ.ग.राज्य ओपन स्कूल, रायपुर।
2. उप सचिव, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़।
4. लेखा अधिकारी, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर।
5. पंजीयक, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर।
6. समस्त कक्ष अधिकारी / व्याख्याता, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर।
7. समस्त मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी, छत्तीसगढ़।
8. नोयबल इंफोटेक प्रा.लि. डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)। कृपया आदेश कार्यालय की वेबसाईट में अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करें।

Sunth
उप सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल
रायपुर